न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/69
दायरा तिथि : 08.02.2024
आदेश तिथि : 17-03-2025
प्रार्थी :-- गोविन्दराम पुत्र मांगाराम जाति मीणा निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

व ना म

अप्रार्थीगण :--

1. पुखराज पुत्र गुलाबराम जाति जणवा निवासी सेसली तह. बाली
2. मांगीलाल पुत्र राजाराम जाति मीणा निवासी लुणावा
3. लेहरी बाई पत्नी राजाराम जाति मीणा निवासी लुणावा
4. गंगा देवी पत्नी छोगाराम जाति मीणा निवासी लुणावा
5. फुलाराम पुत्र छोगाराम जाति मीणा निवासी लुणावा
6. पूनाराम पुत्र वनाराम जाति चौधरी निवासी लुणावा
7. संजु पुत्री पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
8. राहुल कुमार पुत्र पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
9. दीपिका पुत्री पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
10. सविता पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
11. प्रकाश कुमार पुत्र छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
12. कन्या पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
13. कंचन पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
14. पोनी देवी पुत्री पदाराम जाति मेणा निवासी लुणावा
15. मोहनलाल पुत्र पदाराम जाति मेणा निवासी लुणावा

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

<u>आदेश</u> दिनांक: 17-03-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन--पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2221, 2225 व 2226 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2217 रकबा 0.4100 हैक्टर, खसरा नंबर 2218 रकबा 0.3600 हैक्टर व खसरा नंबर 2450/2219 रकबा 0.3600 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के सलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तार्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जाच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक ने जहा से रास्ता चाहा गया है, उक्त स्थान पर खसरा नंबर 2217 के खातेदार का पक्का निर्माण है। जिसने हाल ही में पक्की दिवार का निर्माण किया तथा मौका स्थिति अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तावित खसरों से कभी आना जाना प्रतीत नही हो रहा है। आवेदक की धारित भूमि में आवागमन के लिये राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं खातेदार उपरोक्त खसरा नंबर में आवागमन हेतु आस पास स्थित खसरान नंबर 2214, 2220 व 2219 से आना जाना करता है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।(मौके पर खसरा नंबर 2217 में पक्का निर्माण है।

3

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/69
अनवान गोविन्दराम बनाम पुखराज वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह है कि ग्राम लुणावा में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2217	0.41 हैक्टर	बा. अ.	37X4=148 वर्गमीटर	पुखराज पुत्र गुलाबराम जाति जणवा सा. सेसली
	2218	0.36 हैक्टर	बा. अ.	19X4=76 वर्गमीटर	मांगीलाल पुत्र गुलाबराम जाति जणवा सा. सेसली
	2450/2219	0.36 हैक्टर	बा. अ.	50X4=200 वर्गमीटर	मांगीलाल पुत्र गुलाबराम जाति जणवा सा. सेसली

4. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर खसरा नंबर 2217 में मौके पर पक्का निर्माण है।

5. यह है कि ग्राम लुणावा मे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य विकल्प में खसरावार रकबा विवरण निम्नानुसार रास्ते के रूप में उपयोग होगा–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2216	0.03 हैक्टर	गै.मु. तेड	10X4=40 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार (मौके पर तेड नही है)
2.	2214	0.25 हैक्टर	बा. अ.	62X4=248 वर्गमीटर	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
3	2220	0.31 हैक्टर	बा. अ.	17X4=68 वर्गमीटर	वर्तमान जमाबंदी अनुसार
4	2219	0.36 हैक्टर	बा. अ.	75X4=300 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

6. प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 3,51,852रू/–रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। जिसके बाद तामील प्राप्त हुये। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को जवाब/आपत्ति पेश नहीं करने पर जवाब अवसर बंद किया गया। अप्रार्थी पुखराज व मांगीलाल की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि खसरा नंबर 2217, 2218 में मौके पर पक्का निर्माण कार्य किया हुआ है तथा हमारी भूमि से कभी रास्ता नहीं रहा है। अप्रार्थी पुनाराम की ओर से वकील श्री विजेन्द्रसिंह देवडा ने वकालतनामा मय जवाब/आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी के खसरा नंबर 2214 में से प्रस्तावित रास्ता पर पूर्व से पक्की सीमेन्ट व सीमेंट पट्टी से प्याउ का निर्माण किया हुआ है तथा पास में पुराना टीनशेड व बड़ा बरगद का पेड खडा है। प्रार्थी पूर्व से ही खसरा नंबर 2217 व 2220 में से आवाजाही करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि 2221 के लगती हुई खसरा नंबर 2222/2428 के पास निकटतम रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थी ने अप्रार्थी के खसरा नंबर 2214 मे गलत रूप से आवेदन पेश किया है। प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2221, 2225 व 2226 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तथा खसरा नंबर 2217, 2218 व 2450/2219 के खातेदारों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार मौके पर पक्का निर्माण होने के बिंदु को ध्यान में रखते हुये मौका स्थिति के अनुसार तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् वैकल्पिक रूट से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। खसरा नंबर 2217 में पक्का निर्माण कार्य होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु खसरा नंबर 2214, 2220 व 2219 से ही आवागमन करता है। तहसीलदार द्वारा खसरा नंबर 2214 पर किसी प्रकार के पक्के निर्माण बाबत रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2221, 2225, 2226 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 2216, 2214, 2220, 2219 में से ही रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली (राज.)
3
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या Case No 2024/69

अन्तर्गत नियम 70 ...

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन 2012 संशोधित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधित नियम 2012 तथा इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार (ग्रुप 6) की अधिसूचना क्रमांक F 3(2)Rev.6/03/pt 7 Jaipur Dated 02.03.2012 तथा शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(62) राज-6/2012/4 जयपुर दिनांक 14.06.2014 के द्वारा प्रदत्त निर्देश/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हलका लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2221, 2225 व 2226 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा पटवार हलका लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर क्रमशः 2216, 2214, 2220, 2219 रकबा क्रमशः 0.03 हैक्टर, 0.25 हैक्टर, 0.31 हैक्टर, 0.36 हैक्टर में से **40+248+68+300=656 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार की देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 361852/- रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2216	0.03 हैक्टर	10X4=40 वर्गमीटर	36	1440X2=2880	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2214	0.25 हैक्टर	62X4=248 वर्गमीटर	36	8928X2=17856	फूलाराम पुत्र [illegible] जाति चौधरी [illegible] खातेदार
2220	0.31 हैक्टर	17X4=68 वर्गमीटर	36	2448X2=4896	1. कमला पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/21 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 2. कन्या पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/21 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 3. गंगा देवी पत्नी छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 5/84 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 4. दीपिका पुत्री पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/84 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 5. प्रकाश कुमार पुत्र छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/21 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 6. पोनी देवी पुत्री पदाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/3 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 7. फुलाराम पुत्र छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/21 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 8. मोहनलाल पुत्र पदाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/3 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 9. राहुल कुमार पुत्र पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/84 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 10. सज्जु पुत्री पुष्पा पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/84 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी 11. सविता पुत्री छोगाराम जाति मेणा निवासी लुणावा हि0 1/21 राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सेवाड़ी
2219	0.36 हैक्टर	75X4=300 वर्गमीटर	36	10800X2=21600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
		योग 656 वर्गमीटर		योग 47232 रूपये	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..... 04

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024 / 69

अनवान गोविन्दराम बनाम पुखराज वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण / वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 47232 / – (अक्षरे सैतालीस हजार दो सौ बत्तीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण / निजी खातेदारान द्वारा नहीं लिये जाने की दशा में तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बाली
दिनांक 18-3-25

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक / कोर्ट / 2025 / 248-252

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, लुणावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गोविन्दराम पुत्र भोमाराम जाति मीणा निवासी देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

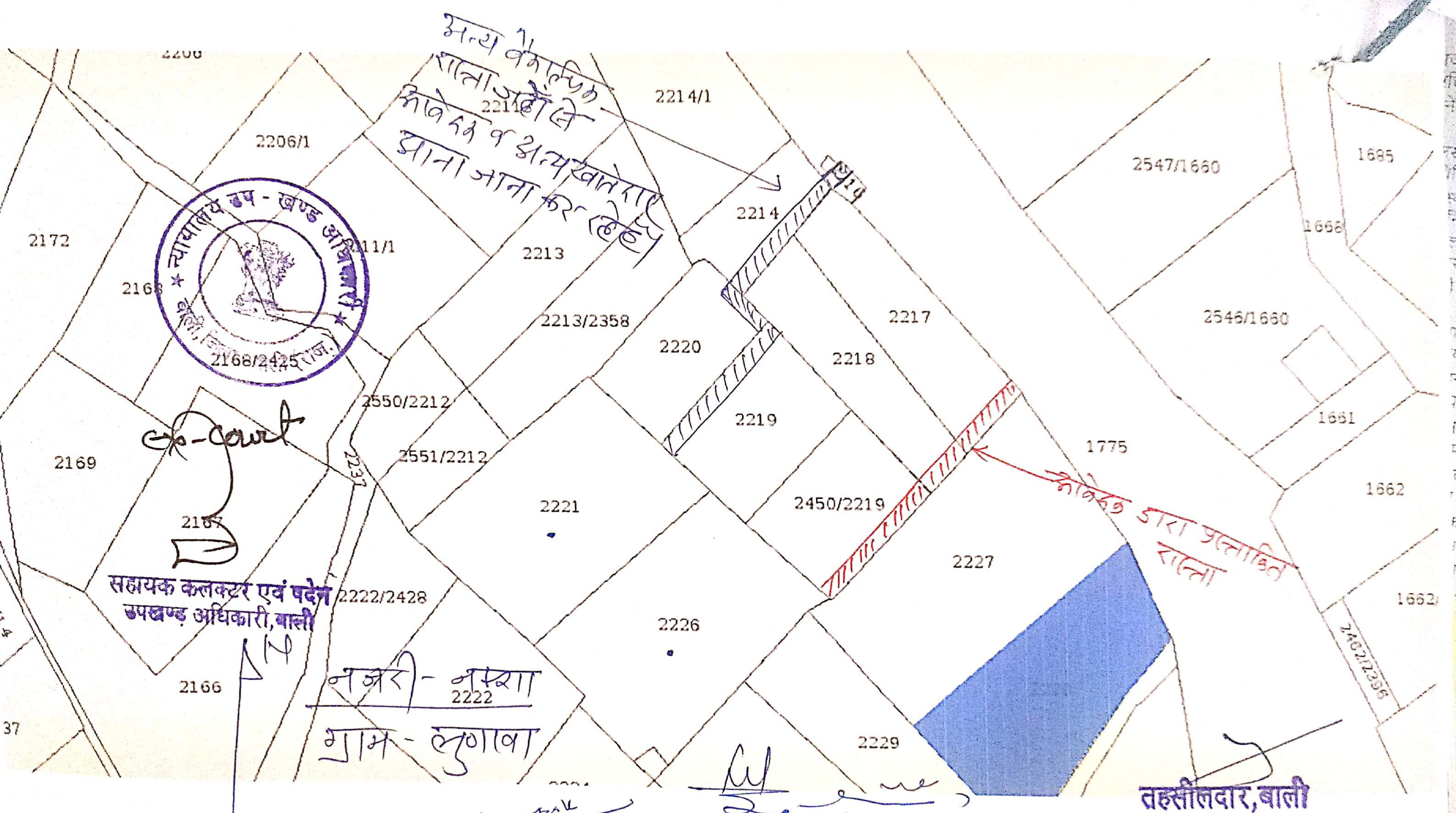

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल.............
तह.बाली, जेला-पाली (राज.)

22/07/21
ILR बाली